भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3301
(29 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के कार्यान्वयन में राज्यों का कार्यनिष्पादन

3301. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत मजदूरों को 100 दिन के सापेक्ष में कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मनरेगा के अंतर्गत जारी की गई निधि को खर्च करने में कौन-कौन से राज्य असफल रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार मनरेगा के कार्यदिवसों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ताकि मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर काम मिल सके और शहरों की ओर उनके पलायन को रोका जा सके?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा का संवर्धन करना है। इसमें आजीविका सुरक्षा अर्थात रोजगार का कोई बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं होने पर ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का तात्कालिक विकल्प प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रति परिवार दिए गए रोजगार के औसत दिवसों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियां और तदनुसार उनका उपयोग एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर काम की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम), 2005 एक ऐसा अधिनियम है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं , उन्हें कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रावधान करता है।

इसके अलावा, सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों के अतिरिक्त अकुशल मजदूरी रोजगार का प्रावधान है। इस अधिनियम 2005 की धारा 3 (4) के अनुसार, राज्य सरकारें इस अधिनियम के अंतर्गत गारंटी की अवधि के अलावा अतिरिक्ति दिनों के मजदूरी रोजगार का प्रावधान स्वयं अपनी निधियों से कर सकती हैं।

राज्य सभा में दिनांक 29.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3301 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रति परिवार दिए गए रोजगार के औसत दिवसों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति परिवार दिए गए रोजगार के औसत दिवस				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	53.09	58.32	49.59	54.35	51.64
2	अरुणाचल प्रदेश	30.19	42.93	48.64	56.75	61.18
3	असम	28.54	30.58	32.31	36.31	33.48
4	बिहार	36.37	42.20	42.03	44.66	37.75
5	छत्तीसगढ़	51.55	56.75	55.69	60.15	59.29
6	गोवा	15.29	13.64	20.00	26.28	28.76
7	गुजरात	41.00	46.05	43.19	42.52	49.67
8	हरियाणा	33.12	33.72	35.37	39.31	36.26
9	हिमाचल प्रदेश	43.03	51.52	48.41	52.81	52.48
10	जम्मू और कश्मीर	54.36	56.55	49.52	54.32	56.07
11	झारखंड	41.03	42.17	46.36	46.35	45.27
12	कर्नाटक	45.05	49.56	49.99	49.09	48.22
13	केरल	47.24	65.97	55.75	63.25	64.41
14	लद्दाख	0.00	0.00	61.20	65.70	59.85
15	मध्य प्रदेश	46.62	51.79	53.30	61.84	57.95
16	महाराष्ट्र	48.62	47.18	40.96	40.34	40.54
17	मणिपुर	12.47	22.88	43.23	60.40	54.71
18	मेघालय	68.37	71.97	73.22	71.53	73.71
19	मिजोरम	75.73	92.43	94.63	92.94	94.66
20	नागालैंड	48.83	34.40	35.47	45.91	46.47
21	ओडिशा	39.98	38.64	47.90	55.51	56.91
22	पंजाब	33.62	30.30	31.23	39.52	37.87
23	राजस्थान	53.11	56.97	58.95	61.06	59.92
24	सिक्किम	54.32	54.29	50.98	57.60	54.08
25	तमिलनाडु	41.08	46.08	43.99	50.22	50.95
26	तेलंगाना	45.32	46.65	43.21	50.77	50.31
27	त्रिपुरा	33.67	46.07	60.78	74.66	71.86
28	उत्तर प्रदेश	37.35	42.05	46.00	41.82	41.95
29	उत्तराखंड	43.76	45.35	40.90	46.42	42.42
30	पश्चिम बंगाल	59.63	77.03	49.89	51.98	47.94
31	अण्डमान और निकोबार	26.44	31.79	38.03	33.77	23.65
32	लक्षद्वीप	59.00	34.00	43.00	32.15	0.00
33	पुदुचेरी	19.26	20.02	19.32	22.06	16.01
34	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राष्ट्रीय	**45.69**	**50.88**	**48.40**	**51.52**	**50.07**

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)